भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 668

24/07/2026 को उत्तरार्थ

विषय: पीएमडीडीकेवाई के कार्यान्वयन के लिए रूपरेखा तैयार करना

668. श्रीमती रेखा शर्मा:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने केंद्रीय बजट, 2026-27 में घोषित 'प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना' (पीएमडीडीकेवाई) के कार्यान्वयन के लिए कोई रूपरेखा तैयार की है;

(ख) इस योजना के तहत जिलों के चयन के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ग) इसमें कौन-कौन से प्रमुख उपाय प्रस्तावित हैं; और

(घ) कृषि उत्पादकता और किसानों की आय से संबंधित परिणामों की निगरानी के लिए क्या तंत्र स्थापित किया गया है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): भारत सरकार ने 2025-26 के लिए अपने केंद्रीय बजट में "प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (डीडीकेवाई)" के तहत 100 ज़िलों को शामिल करने की घोषणा की है। डीडीकेवाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 16 जुलाई, 2025 को अनुमोदित किया गया था और औपचारिक रूप से 11 अक्टूबर, 2025 को लॉन्च किया गया था। योजना के दिशा-निर्देश 25 सितंबर, 2025 को जारी किए गए थे, जो कार्यान्वयन की प्रक्रियाओं को निर्धारित करते हैं। विस्तृत दिशानिर्देश यहां उपलब्ध हैं:

https://agriwelfare.gov.in/Documents/Guidelines/Guidelines_PM_DDKY_19092025_Final[1]_0.pdf

डीडीकेवाई में जिला धन-धान्य कृषि योजना समिति द्वारा 11 विभागों/मंत्रालयों की 36 योजनाओं के एक-दूसरे साथ संमिलन में एवं राज्य सरकार की योजनाओं और निजी भागीदारी के अभिसरण के माध्यम से कार्यान्वयन की परिकल्पना की गई है।

जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला डीडीकेवाई समिति को जिला कार्य प्लान (डीएपी) तैयार करने का कार्य सौंपा गया है। डीएपी की परिकल्पना जिला के लिए विशिष्ट कृषि विकास प्लान पर काम करना और योजनाओं

के अभिसरण के माध्यम से योजना के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए की गई है। सभी 100 जिलों ने डीएपी तैयार कर ली है और अपने प्लान्स के अनुसार गतिविधियां शुरू कर दी हैं। डीएपी लागू करने की जिम्मेदारी संबंधित जिले की है।

(ख): इन 100 ज़िलों को 3 प्रमुख संकेतकों - कम फ़सल उत्पादकता, कम फ़सल सघनता और कम कृषि ऋण वितरण के आधार पर चयनित गया था।

(ग): इस योजना का उद्देश्य निम्नलिखित है:

i. कृषि उत्पादकता बढ़ाना
ii. फसल विविधीकरण और सतत कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए बढ़ावा देना
iii. पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसलोपरान्त भंडारण को बढ़ाना
iv. सिंचाई सुविधाओं में सुधार
v. दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाना

इन्हें संमिलन की जाने वाली योजनाओं में परिकल्पित उपायों के ज़रिए जैसे किसान क्रेडिट कार्ड का कवरेज बढ़ाना, फसल विविधीकरण, सिंचाई और सूक्ष्म सिंचाई सुविधाओं में सुधार, गुणवत्तापूर्ण बीजों का वितरण, कृषि यंत्रीकरण और कस्टम हायरिंग सेंटरों (सीएचसी) का सृजन, भंडारण और शीतागार सुविधाओं का सृजन, पशुधन का टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान आदि से प्राप्त किया जाना है।

(घ): कृषि उत्पादकता सहित उपर्युक्त उद्देश्यों से संबंधित परिणामों की निगरानी करने के लिए राज्य स्तर पर जिला प्लान्स की समीक्षा और निगरानी राज्य धन-धान्य कृषि योजना समिति द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर, योजना की समीक्षा और निगरानी के लिए दो समितियां हैं - कार्यकारी समिति और निगरानी समिति।

इसके अलावा, प्रत्येक डीडीकेवाई ज़िले के लिए केंद्रीय नोडल अधिकारी (सीएनओ) नियमित फ़ील्ड विज़िट और वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठकों के माध्यम से जिलों के प्रदर्शन की समीक्षा और निगरानी कर रहे हैं। साथ ही, केंद्रीय और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को प्रत्येक डीडीकेवाई जिले को तकनीकी ज्ञान भागीदार का कार्य सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त, डीडीकेवाई जिलों में योजना की प्रगति की निगरानी डीडीकेवाई डैशबोर्ड पर जिलों द्वारा अपडेट किए गए प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (केपीआई) के माध्यम से की जाती है।

*****